अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :– एफ.7 (366)/परि/नियम/मु./HSRP/2011 जयपुर, दिनांकः–

परिपत्र

आम वाहन क्रेताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने वाहन डीलर्स को गैर परिवहन वाहनों के लिये पंजीयन अधिकारी अधिकृत किया हुआ है। इस बाबत वाहन डीलर्स को पंजियन कार्य के लिए पृथक से हैंडलिंग चार्ज वसूल किये जाने का प्रावधान किया गया है। इस क्रम में ऐसे अधिकृत डीलर्स को उनकी मांग एवं आमजन की सुविधा के मध्यनजर पंजीकृत किये जाने वाले वाहनों पर अपने परिसर में ही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट(HSRP) लगाये जाने की अधिसूचना परिवहन विभाग द्वारा जारी की गई है। वाहनों पर HSRP लगाये जाने का कार्य अनुबन्धकर्ता कम्पनी मैसर्स रियल मेजॉन राजस्थान प्राइवेट(लि.) द्वारा किया जा रहा है। वाहनों पर लगाई जाने वाली HSRP के लिये दरें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की हुई है। वाहन क्रेताओं को अधिसूचित दरों पर ही HSRP लगाई जानी है। अतः यह सुनिश्चित किया जाना अनुबंधकर्ता कम्पनी एवं सम्बधित वाहन डीलर का दायित्व है कि वाहनों पर अधिसूचित दरों पर ही HSRP लगाई जा रही है।

इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते है कि सभी वाहन डीलर्स जिनके द्वारा वाहनों का पंजियन कार्य किया जाता है एवं वाहनों पर HSRP लगाई जा रही है अपने परिसर में सहज दृश्य स्थान पर 4X3 फीट का डिस्पलें बोर्ड लगायेंगे जिसमें वाहनों के पंजियन कार्य के लिये प्रावधित हैंडलिंग चार्ज तथा भिन्न–भिन्न श्रेणी के लिये अनुमोदित एवं अधिसूचित HSRP की दरें प्रदर्शित की जायेंगी। इस डिस्पले बोर्ड पर अधिक वसूली या अन्य अनियमितता के सम्बन्ध में शिकायत की प्राप्ति एवं इसके निराकरण करने वाले सम्बन्धित जिला परिवहन अधिकारी का नाम तथा दूरभाष नम्बर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

इन दरों से अधिक राशि की वसूली की शिकायत मिलने पर सम्बन्धित वाहन डीलर के विरूद्ध नियमां के अर्न्तगत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। सभी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी एवं जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे व्यक्तिशः इस बात को सुनिश्चित करेंगें कि ऐसे डिस्पले बोर्ड सभी डीलर्स के परिसर में लगा दिये गये हैं जिन्हें वाहनों के पंजीयन के लिए अधिकृत किया गया है तथा जिनके परिसर में ही वाहनों पर HSRP लगाई जाती है। इन लगाये जाने वाले डिस्पले बोर्ड का प्रतिदर्श संलग्न प्रोफॉर्मा के अनुसार होगा। इस आदेश की पालना के लिए वाहन डीलर्स को दिनांक 31.10.2013 तक का समय दिया जावे तथा दिनांक 7.11.2013 तक इन डिस्पले बोर्ड का भौतिक सत्यापन कर मय फोटोग्राफ सूचना मुख्यालय को प्रेषित की जावे।

Sd.
(उमराव सालोदिया)
परिवहन आयुक्त एवं
अतिरिक्त मुख्य सचिव

(डिस्पले बोर्ड साइज 4x3)

डीलर का नाम...................................

पंजीयन कार्य के लिये अनुमोदित हैंडलिंग चार्ज-

दो पहिया वाहन – 75 रू.

चार पहिया वाहन/ट्रेक्टर – 125 रू.

HSRP के लिये अनुमोदित दरें–

दो पहिया वाहन – 75 रू.

चार पहिया वाहन – 220 रू.

ट्रेक्टर – 90 रू.

1. उपरोक्त दरों से अधिक दरें वसूल किया जाना नियमों के विरूद्ध है।
2. अधिक दरें लिए जाने अथवा अन्य कोई अनियमितता की शिकायत के लिए जिला परिवहन अधिकारी.................................को कार्यालय पते पर अथवा दूरभाष नं. ....पर शिकायत करें।

आज्ञा से
परिवहन आयुक्त, राजस्थान।